न्यायालय–श्री मानवेन्द्र सिंह, मंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–209/2025

मोती साह.....वादी

बनाम

रामबिहारी यादव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
15.06.2026	उभय पक्ष की ओर से पैरवी है। वादी की ओर से आवेदन दिनांक 10.06.2026 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 15.06.2026 को सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। वादी की ओर से अपने आवेदन में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है। इस वाद में प्रतिवादीगण उपस्थित हो चुके है, परन्तु अभी अपना ब्यान तहरीरी दाखिल नहीं किये है। प्रतिवादी सं0–01 ने वादी के विक्रेतागण प्रतिवादी सं0–02 ता 04 के नाम वाद भूमि वो अन्य भूमि के लिए संधारित जमाबंदी के विरूद्ध अपर समाहर्ता बेतिया के न्यायालय से पुनरीक्षण वाद सं0–143/2023 में आदेश प्राप्त कर वादी के स्वत्व वो दखल–कब्जा की भूमि मुन्दर्ज अर्जी नालिस मद नं0–02 से उसे ताजबजस्ती बेदखल करने की धमकी देने लगे, तत्पश्चात् वादी ने प्रस्तुत वाद दाखिल किया। वादी के अर्जी नालिस में टाईपिस्ट की भूमि वो गलती से प्रतिवादी सं0–01 को वाद भूमि पर वादी के दखल–कब्जा वो नजायज झझंट वो व्यवधान उत्पन्न करने से रोकने हेतु इम्तनाई वास्ते मुल्यांकन वो दादरसी दर्ज करना छुट गया है इसलिए अर्जी नालिस में संशोधन कर इम्तनाई वास्ते मुल्यांकन वो दादरसी दर्ज करना न्यायहित में आवश्यक है, जिसके लिए इस आवेदन की आवश्यकता हुई है। अर्जी नालिस में प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। प्रस्तावित संशोधन से वाद की प्रकृति वो स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है और पक्षकारों को कोई क्षति नहीं होने वाली है। इसलिए संशोधन आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक अड़चन नहीं है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी को अपने वाद पत्र में नीचे लिखे तरीके से संशोधन करने का आदेश देने की कृपा प्रदान की जाए। <u>वादी द्वारा दाखिल वाद पत्र में प्रस्तावित संशोधनः–</u> (1) वाद पत्र के पारा नं0–21 के अंत में ‘‘अलावे इसके डिक्री ईम्तनाई हेतु अलग से मालियत मोबिलक 1000/– (एक हजार) रूपया कायम किया जाता है और उस	

<u>न्यायालय–श्री मानवेन्द्र सिंह, मंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–209/2025</u>

मोती साह.....वादी

बनाम

रामबिहारी यादव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 15.06.2026	पर एडभोलेरम कोर्ट फी 200(दो सौ) रूपया अदा किया जाता है'' जोड़ दिया जाए। (2) वाद पत्र के दादरसी (ख) के रूप में ''डिक्री इम्तनाई चन्दरोजा वो दोआमी बहक फिदवी मुदई पारित करते हुए अर्जी नालिस के मद नं0–02 की तकरारी एराजी पर मुदई के दखल–कब्जा में किसी तरह का झंझट वो मोजाहमत करने से मुदालह फरीक अव्वल को हमेंशा के लिए रोक दिया जाए'' को जोड़ दिया जाए। (3) वाद पत्र में दर्ज पूर्व के दादरसी ''ख'' को हटाकर उसके स्थान पर ''ग'' तथा ''ग'' को हटाकर उसके स्थान पर ''घ'' दर्ज कर दिया जाए। प्रतिवादी सं0–01 की ओर से वादी के आवेदन दिनांक 10.04.2026 को प्रतिउत्तर दिनांक 11.05.2026 को दाखिल किया गया है और कहा गया हैं कि वादी द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन कानून और तथ्य दोनों ही दृष्टिकोण से परिपालनीय नहीं है, बल्कि खारिज योग्य है। वादी का संशोधन आवेदन दाखिल करने का कोई आधार एवं कारण नहीं है। वादी सही तथ्य को छुपाते हुए बिल्कुल गलत तथ्यों के आधार पर यह वाद मन मुदालह के खिलाफ दाखिल किया है। वादी अपने संशोधन आवेदन में यह बिल्कुल गलत कहा है कि टाईपिस्त की भूल वो गलती से अर्जी नासिल में प्रतिवादी सं0–01 को वाद भूमि पर वादी के दखल–कब्जा वो नजायज झंझट वो व्यवधान उत्पन्न करने से रोकने हेत इम्तनाई वास्ते मूल्यांकन वो दादरसी दर्ज करना छुट गया है। दरअसल टाईपिस्त की गलती से कोई शब्द गलत टाईप हो सकता है न कि तथ्य छुट सकता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि टाईपिस्ट के द्वारा नालिस टाईप करने के बाद correction भी किया जाता है। इस प्रकार संशोधन आवेदन में यह कहना सरासर गलत है कि टाईपिस्ट की गलती से तथ्य टाईप होना छुट गया है। वादी द्वारा जानबुझकर एडीॉलेरम न्याय शुल्क भुगतान नहीं करने के उद्देश्य से सही तथ्यों को नालिस में दर्ज नहीं किया गया तथा न्यायालय को अंधकार में रखकर वाद को एडमीट करा लिया गया। वाद भूमि की कीमत मो0–5,00,000/–(पांच लाख) रूपया से कम नहीं है तथा वादी द्वारा नालिस में स्वत्व की घोषणा दखल–कब्जे की सम्पुष्टि की मांग की गई है एवं अब इम्तनाई की मांग भा संशोधन में की जा रही	

<u>न्यायालय–श्री मानवेन्द्र सिंह, मंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–209/2025</u>

मोती साह.....वादी

बनाम

रामबिहारी यादव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 15.06.2026	है। ऐसी स्थिति में वादी को मो0–5,00,000/–(पांच लाख) रूपया पर एडीॉलरेम न्यायशुल्क भुगतान करना आवश्यक है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी के द्वारा मालियत मुकदमा मो0–63,000/– रूपया ही वाद दाखिल करते वक्त दिया गया है जबकि वाद दाखिल करते वक्त वाद भूमि की कीमत मो0–5,00,000/–(पांच लाख) रूपया से कम नहीं थी तथा वादी के द्वारा वाद भूमि की कीमत में भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में वादी का संशोधन आवेदन अधूरा है। यहां यह भी कह देना जरूरी है कि मन मुदालह के द्वारा इस वाद में अपना कारण पृच्छा वादी के निषेधाज्ञा आवेदन का दिया गया है, जिसमें वाद भूमि की कीमत मो0–5,00,000/–(पांच लाख) रूपया बतलाया गया है। वादी के द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन स्वीकार करने से वाद की प्रकृति एवं स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है ऐसी स्थिति में वादी का संशोधन आवेदन स्वीकार करना न्यायोचित नहीं है। लेहाजा उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि वादी का संशोधन आवदेन किसी भी दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं है, बल्कि खारिज योग्य है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादी सं0–01 का प्रतिउत्तर स्वीकार करते हुए वादी का आवेदन दिनांक 10.04.2026 को विशेष खर्चे के साथ खारिज करने की कृपा की जाए। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद सुनवाई हेतु नियत है। आदेश 06 नियम 17 में कोई भी पक्षकार न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञाप्त कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जायेगें, जो दोनो पक्षों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के आवधारण के परियोजन के लिए आवश्यक हो। वादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। इससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव पडता प्रतीत नहीं होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार (Life Insurance Corporation of India V. Sanjeev Builders Private Limited and another, AIR 2002 SC 4256) Amendment may be justifiably allowed where it is intended to rectify the absence of material particulars in the plaint. वादी का आवेदन दिनांक 10.04.2026 को स्वीकृत	

<u>न्यायालय–श्री मानवेन्द्र सिंह, मंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–209/2025</u>

मोती साह.....वादी

बनाम

रामबिहारी यादव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 15.06.2026	किया जाता है तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वाद पत्र में आवेदनानुसार अपेक्षित संशोधन करें। वाद दिनांक 02.07.2026 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	